न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 1 गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–IV (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.Code No. UP6124

कम्प्यूटर पंजीयन संख्याः 1453/2026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 524/2026

CNR No–UPGZ010032622026

विकास सिंह उर्फ मुन्नू पुत्र प्रमोद सिंह तोमर निवासी सेवानगर पिलर संख्या 515 मेरठ रोड़ नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम भिडेसा जिला मुरेना, मध्य प्रदेश।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या 83/2026
धारा 105,352 BNS
थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद।

18–03–2026

1– यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त **विकास सिंह उर्फ मुन्नू** की ओर से उपरोक्त मामले में स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

2– जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार विपिन सिंह का शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का न्यायालय के समक्ष यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त उसका अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद या अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3– अभियोजन केस के अनुसार वादी का पुत्र रितेन्द्र उर्फ लक्की, विशाल के अंडर हलवाई का काम करता था, वादी के पुत्र रितेन्द्र ने दिनांक 07–02–2026 को रात्रि करीब 21.35 बजे उसके छोटे पुत्र मुकुल सिंह सिकरवार को व्हाटसअप कॉल कर बताया कि रितेन्द्र के साथ विशाल उपरोक्त तथा मनोज सिंह पुत्र प्रमोद सिंह तोमर ने गाली गलौज करते हुए विवाद किया, फिर दिनांक 07–02–2026 की रात्रि के समय गोदाम (विशाल का) सेवानगर पिलर संख्या 515 मेरठ रोड़ पर रितेन्द्र के साथ बुरी तरह मारपीट की है। इसके बाद उसे विशाल ने फोन करके बताया कि रितेन्द्र गायब है, मिल नहीं रहा हैं और विशाल ने रितेन्द्र की गुमशुदगी अपने नाम से दिनांक 10–02–2026 को थाना नन्दग्राम पर दर्ज करा दी। जब उसने अपने बेटे की तलाश की तो उसे जानकारी हुई कि थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति को गम्भीर अवस्था में दिनांक 08–02–2026 को उपचार हेतु एम०एम०जी० अस्पताल में दाखिल कराया था उसी दिनांक

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.03.26 16:56:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

को उसकी सिर व चेहरे आदि पर आई गम्भीर चोटो के कारण मौत हो गई जिसकी पहचान उसने पुलिस के साथ मोर्चरी पर अपने पुत्र रितेन्द्र उर्फ लक्की सिकरवार के रूप में की। वादी के पुत्र रितेन्द्र उर्फ लक्की सिकरवार के साथ विशाल व मनोज सिंह तोमर द्वारा अपने गोदाम सेवा नगर पिलर संख्या 515 मेरठ रोड पर बुरी तरह से मारपीट की गयी जिसके कारण उसके पुत्र की मृत्यु हो गयी।

4– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से मुख्य तर्क यह दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष हैं, उसे झूठा फंसाया गया हैं। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्ष्य नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी, परन्तु विलम्ब का कोई कारण दर्शित नहीं किया है। अभियुक्त व वादी मुकदमा मूल रूप से एक जिला मुरैना मध्य प्रदेश के निवासी है। अभियुक्त की मृतक रितेन्द्र से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी या रंजिश नहीं थी।अभियुक्त द्वारा कोई भी गैर इरादतन हत्या का प्रयास नहीं किया है और न ही किसी की हत्या की गयी हैं और न ही गाली गलौज की गयी हैं और न ही कोई कथित अपराध कारित किया गया हैं। अभियुक्त दिनांक 19–02–2026 से कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त उचित जमानत देने को तैयार है। इस स्तर पर जमानत की याचना की गयी।

5– अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त ने सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादी के पुत्र के साथ मारपीट की गयी जिससे उसे गम्भीर चोटे आयी और इन्हीं गम्भीर चोटो के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6– मैने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया तथा उपलब्ध प्रपत्रो का सम्यक अवलोकन किया।

7– प्रपत्रो के अवलोकन से विदित होता हैं कि वादी मुकदमा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित किया हैं कि अभियुक्त ने सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादी के पुत्र के साथ मारपीट कर गम्भीर चोटे पहुंचाई गई और अभियुक्त द्वारा वादी के पुत्र को गायब करके उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। वादी के पुत्र की अभियुक्त व सह अभियुक्त द्वारा मारपीट करके हत्या किया जाना अभिकथित किया है। केस डायरी के अवलोकन से विदित होता हैं कि वादी मुकदमा ने अपने बयान धारा 180 BNSS में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कहा गया कि अभियुक्त व सह अभियुक्त द्वारा उसके पुत्र को मारपीट करके सिर व चेहरे पर पहुंचाई गई चोटो के कारण उसकी मृत्यु हुई है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर चार चोटे आने का उल्लेख किया गया हैं। केस डायरी में अभियुक्त को मनोज सिंह तोमर उर्फ मुन्नू पुत्र प्रमोद सिंह तोमर के नाम से उल्लिखित किया गया हैं। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। ऐसी दशा में आवेदक/अभियुक्त पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रकृति के है। इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त की उक्त अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है।

8– अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता एवं

आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध संकलित साक्ष्य आदि को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त विकास सिंह उर्फ मुन्नू की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 18-03-2026

(अनिल कुमार-IV)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 1 गाजियाबाद।